प्रकरण संख्या 48/2022 श्रीमती प्यारीबाई व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चायलों का खेड़ा, तहसील मावली में वाद पत्र के परिशिष्ट ''अ'' वर्णित आराजी नंबर 4089 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में गोदा व नारायण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 4045, 4048, 4050, 4053, 4054, 4055, 4081, 4082, 4218, 4225, 4227, 4233 कुल किता 12 रकबा 32 बीघा 4 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में गोदा व नारायण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। परिशिष्ट ''स'' की आराजी नंबर 3923 रकबा 1 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में गोदा व नारायण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। परिशिष्ट ''द'' की आराजी नंबर 4214, 4215, 4216 व 4217 कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में गोदा के नाम दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''य'' की आराजी नंबर 4044, 4051, 4052 कुल किता 3 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में गोदा व नारायण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। परिशिष्ट ''र'' की आराजी नंबर 4232, 4238 कुल किता 2 रकबा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में गोदा व नारायण के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। विवादित आराजियात के मूल पुरूष पीथा जी होकर उनके तीन पुत्र रोड़ा, गोकल व जयचन्द हुए, जिसमें गोकल ला औलाद फोत हो गया तथा रोडा का पुत्र गोदा प्रतिवादी संख्या 1 करीब 40 वर्षो से लापता है, जो अविवाहित होने से उसका कोई वारित नहीं है तथा जयचन्द का पुत्र वादी व दो पुत्री जडावबाई व चुन्नीबाई हुई जो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हैं। पीथा की मृत्यु होने पर भूमि विरासत से रोड़ा, गोकल व जयचन्द के नाम दर्ज हुई। गोकल लाऔलाद फोत होने एवं रोड़ा का पुत्र गोदा प्रतिवादी संख्या 1 अविवाहित होकर 40 वर्षो से लापता होने से 7 वर्ष से अधिक समय हो जाने से उसे मृत माना जाता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 की समस्त चल अचल सम्पत्ति को वादी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है। अतः विवादित आराजियात का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.02.2022 से वादी का वाद स्वीकार कर वाद वर्णित आराजियात का गोदा के बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार ओस्तवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण विवादित आराजियात के सहखातेदार हैं तथा गोदा ने 40 वर्ष पूर्व अपने मौरूस अपीलार्थीगण को उक्त भूमि का कब्जा संभलाकर गये, लेकिन अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वह प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार अपीलान्टगण विवादित आराजियात के सहखातेदार दर्ज हैं, जबकि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपीलान्टगण आवश्यक, प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 19.05.2022 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:55 IST
Reason: SelfAttested

मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्व में जानकारी होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, हमारे द्वारा उपर धारा 96 जा. दी. के प्रार्थना पत्र के विवेचन में अपीलान्टगण को आवश्यक, प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार माना गया है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 47/2020 निर्णय एवं डिक्री 11.02.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित कर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:55 IST
Reason: SelfAttested